राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1023/2025

किरण सैठी

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त, कृषि विभाग, पंथ कृषि पंथ भवन, सी–स्कीम, जयपुर।
3. सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) सांगानेर, जयपुर।
4. मनोज कुमावत, कृषि पर्यवेक्षक वर्तमान में मुख्यालय, सवाईजयसिंहपुरा, सहायक निदेशक कृषि पर्यवेक्षक सांगानेर, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2025
आदेश की दिनांक : 17.02.2025

अपीलार्थी की ओर से : श्री पूनम चंद शर्मा, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी की तरफ से संशोधित अपील प्रस्तुत कर उसे रिकॉर्ड पर लेने हेतु निवेदन किया। अपीलार्थी के अधिवक्ता को सुना। संशोधित अपील रिकॉर्ड पर ली गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी भूतपूर्व सैनिक है तथा उसे प्रारंभ में कृषि पर्यवेक्षक के पद पर 14.10.2015 के आदेश द्वारा नियुक्त किया गया था तथा श्रीचंदपुरा, राजगढ़ जिला अलवर में पदस्थापित किया गया था तथा उसके पश्चात दिनांक 20.7.2018 को महादेवपुरा, सांगानेर, जयपुर में स्थानान्तरित किया गया तथा तत्पश्चात दिनांक 25.9.2019 को बगरू, सांगानेर, जयपुर में स्थानान्तरित किया गया तथा उसके पश्चात 25.8.2022 को अपीलार्थी को उसके वर्तमान पदस्थापन स्थान अर्थात मुख्यालय दहमीकलां (सांगानेर) जयपुर में स्थानान्तरित किया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण मुख्यालय दहमीकलां, सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) सांगानेर से मुख्यालय लांबा, सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) टोंक में किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण पंचायती राज विभाग की सहमति के बिना अपीलार्थी के स्थान पर प्रत्यर्थी संख्या 4 को समायोजित

करने के लिया किया गया है। अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 719 पर है और प्रत्यर्थी संख्या 4 का नाम क्रमांक 717 पर है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंध में जारी आलौच्य आदेश दिनांक 15.1.2025 (अनुलग्नक–1) को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को उसकी वर्तमान नियुक्ति के स्थान अर्थात मुख्यालय दहमीकलां, कृषि निदेशक (विस्तार) सांगानेर, जयपुर में सभी परिणामी लाभों के साथ कृषि पर्यवेक्षक के पद पर कार्यरत रखा जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है। अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकरण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को किसी विशिष्ट तरीके से निस्तारित करने के संबंध में कोई आदेश नहीं दे रहा है।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य